8

पेंशन/सेवानिवृत्तिक लाभ

विषय सूची			
क्र0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018 ।	अधिसूचना संख्या 354/XXXVI(3)/2018 /70(1)/2018 दिनांक 17 अक्टूबर, 2018	**255–259**
2	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 01.01. 2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का संशोधन।	सं0 205/XXVii(10)/2018–27(08) /17 दिनांक : 15 अक्टूबर, 2018	**260–263**
3	उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 ।	सं0269/XXXVI(3)/2018/47(1)/2018 दिनांक : 20 जुलाई, 2018	**264–265**
4	प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक प्रदत्त सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।	सं0 160/ XXVii(10)/2018/54/2012 दिनांक : 22 मई, 2018	**266–267**
5	प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक प्रदत्त सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।	सं0 128/ XXVii(10)/2018/54/2012 दिनांक : 25 अप्रैल, 2018	**268–269**
6	उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 ।	सं0193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018 दिनांक : 13 अप्रैल, 2018	**270–284**
7	पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं0 41/XXVII(7)50(4)/2017 दिनांक : 12 सितम्बर, 2017	**285–286**
8	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये	सं0 173/18/xxvii(10)2017 दिनांक : 17 अगस्त, 2017	**287–288**

	गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं पेंशन अनुमन्य किये जाने विषयक।		
9	केन्द्रीय सातवें वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण विषयक।	सं0 211/17/XXVii(10)2017 दिनांक : 28 जुलाई, 2017	**289–290**
10	उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमन्यता विषयक।	सं0 175/XXVii(10)/2017/09(36)07 दिनांक : 19 जून, 2017	**291–292**
11	दिनांक 01.10.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान की अनुमन्यता विषयक।	सं0 174/42/ XXVii(10)/16/2017 दिनांक : 16 जून, 2017	**293–294**
12	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।	सं0 138/2017/45/ XXVII(10)/2016 दिनांक : 15 मई, 2017	**295**
13	शा0 सं0 : 135/2017/45/xxvii (10)/2016 दिनांक : 05 मई, 2017 का शुद्धि पत्र।	सं0 136/2017/45/ XXVII(10)/2016 दिनांक : 05 मई, 2017	**296**
15	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की	सं0 135/2017/45/ XXVII(10)/2016	**297**

	संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेशन/ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।	दिनांक : 05 मई, 2017	
15	दिनांकः 01 नवम्बर, 2005 से लागू नई आंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान के रूप में होने वाली कटौतियों को जमा करने हेतु प्रकिया एवं सुसंगत लेखाशीर्षक में संशोधन विषयक।	सं0 113/06/XXVII(10)/2017 दिनांक : 06 अप्रैल, 2017	**298–299**
16	09 नवम्बर, 2000 से पूर्व के पेंशनरों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01. 2016 से पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन का लाभ दिये जाने विषयक।	सं0 79/02/ XXVII(10)/2017 दिनांक : 14 मार्च, 2017	**300**
17	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।	सं0 267/45/ XXVII(10)/2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	**301–304**
18	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सराकर द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक : 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन।	सं0 266/45/ XXVII(10)/2016 दिनांक : 30 दिसम्बर, 2016	**305–310**
19	दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण	सं0 215/52/ XXVii(10)/2016 दिनांक : 14 अक्टूबर, 2016	**311–312**

	विषयक कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र सं0 835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28.02. 2011 का संशोधन।		
20	राज्य सरकार की सिविल सेवा अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निधियों में पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के सैन्य सेवा के साथ ही सिविल के लिये दोहरी पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता।	सं0 43/ XXVii(10)/2015 दिनांक : 23 नवम्बर, 2015	313–314
21	उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) नियमावली, 2015	सं0 214/ XXVII(7)56/2007टी0सी0 दिनांक : 18 नवम्बर, 2015	315–316
22	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुये पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान की प्रकिया में संशाोधन।	सं0 13/2015/9(13)/ XXVii(10)2011 दिनांक : 20 अप्रैल, 2015	317–318
23	दिनांक : 01.01.2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के, वेतन समिति उत्तराखण्ड, 2008 की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप, पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	सं0 50/ XXVii(7)30(1)/2008 दिनांक : 06 मार्च, 2014	319–320
24	कार्यालय ज्ञाप सं0 : 419/xxvii(7)/ 2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–8 (2) (क) (3) के कम में पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने की न्यूनतम सीमा राशि।	सं0 676/ XXVii(7)30(1)/2008 दिनांक : 02 सितम्बर, 2013	321–322
25	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।	सं0 666/ XXVii(7)50(72)/2013 दिनांक : 26 अगस्त, 2013	323–324
26	पेंशनीय भार वहन करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य से समझौता किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 470/ XXVii(7)9(45)/2012 दिनांक : 29 अप्रैल, 2013	325
27	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधन।	सं0 184/ XXVii(7) 09(13)/2011 दिनांक : 18 अप्रैल, 2013	326–327
28	अधिसूचना संख्या : 21/xxvii(7)(अं0पें0यो0)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा नई पेंशन (अंशदायी पेंशन योजना) के	सं0 468/ XXVii(7) (अं.पें.यो.)/2013 दिनांक : 22 मार्च, 2013	328–329

	सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।		
29	अधिसूचना संख्या : 21/xxvii(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबध में स्पष्टीकरण।	सं0 412/XXVII(7)/61(8)/2010 दिनांक : 14 फरवरी, 2013	**330–332**
30	राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत/कर्मचारियों के राशिकरण की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	सं0 401/XXVII(7) 54(1)/2011 दिनांक : 01 फरवरी, 2013	**333–334**

(255)

क्रम संख्या–184

पंजीकरण संख्या– यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 25, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 354 / XXXVI (3) / 2018 / 70(1) / 2018

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) विधेयक, 2018' पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 34, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

256

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)" के प्रवृत्त होने के समय से लागू माना जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 की धारा 7 की उपधारा (1) में "तैंतीस गुने" शब्द के स्थान पर "साढे सोलह गुना" शब्द रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3. (1) उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात अथवा कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 354/XXXVI (3)/2018/70(1)/2018
Dated Dehradun, October 17, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **34** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 October, 2018.

THE UTTARAKHAND RETIREMENT BENEFITS (AMENDMENT) ACT, 2018

(Uttarakhand Act No. 34 of 2018)

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018 (Act No. 17 of 2018)

BE it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty ninth year of the Republic of India as follows:-

Short Title And Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall be deemed to have come into force from the time of enforcement of the "Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018 (Act No. 17 of 2018)".

Amendment of Section 7

2. In Section 7 of the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018, in sub section (1), for the words "33 times", the words "16.5 times" shall be substituted.

Repeal and saving

3.(1) The Uttarakhand Retirement Benefits (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा ने राज्य के कर्मचारियों के सेवानिवृत्तिक लाभ एवं पारिवारिक पेंशन सम्बन्धित अधिकारों को संरक्षित करने के लिये उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया है, जिसकी धारा 7 की उपधारा (1) में सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा को मासिक परिलब्धियों के "तैतीस गुने" के स्थान पर "साढ़े सोलह गुना" किया जाने के सम्बन्ध में अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।

3. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(260)

संख्या : /XXVII (10)/2018–27(8)2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 15, अक्टूबर, 2018

विषय :सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 267/45/XXVII/2016 दिनांक 30.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में किया गया।

2. केन्द्र सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 12.05.2017 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त कार्मिक के द्वारा सेवानिवृत्त के समय जिस वेतनमान में अन्तिम वेतन आहरित किया है, उसका प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षण, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त के वेतन आयोगों की संस्तुतियों के अनुसार किया जायेगा और इस प्रकार दिनांक 01.01.2016 को निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा। केन्द्र सरकार के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 04.08.2016 की व्यवस्थानुसार, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 2.57 से गुणा करने पर संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय ज्ञाप में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 को प्रकल्पित रूप से पुनरीक्षित वेतन के आधार पर निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन में से जो अधिक हो, वह दिनांक 01.1.2016 को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमन्य होगी। साथ ही, पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिये पेंशनरों से किसी प्रकार की सूचना अथवा आवेदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा शासनादेशों के अधीन कार्यवाही स्वतः तत्काल की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ–2

3. उक्तानुसार पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 38/37/2016–P&PW (A), दिनांक 06, जुलाई, 2017 द्वारा 01.01.1986, 01.01.1996, 01.01.2006 व 01.01.2016 तक विभिन्न वेतनमानों में प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से निर्धारित होने वाली पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की गणना के सम्बन्ध में वेतन प्रकमवार तालिकायें निर्गत की हैं।

4. अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.07.2017 के साथ संलग्न तालिकाओं के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार पेशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से सम्बन्धित विवरण संलग्न प्रारूप पर भर कर एवं उसे प्रमाणित करते हुये सम्बन्धित कोषागार को पेंशन निर्धारण हेतु प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तर दायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

5. प्रकल्पित आधार पर भिन्न–भिन्न वेतनमानों में वेतन निर्धारण वर्तमान में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कोषागार पोर्टल से संलग्न प्रारूप पर ऑनलाईन करते हुये वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश पेंशन भुगतानकर्ता जनपद कोषागार को प्रेषित किये जायेंगे। तत्पश्चात कोषागार/उपकोषागार द्वारा सम्बन्धित पेंशनर के मूल पी0पी0ओ0 पर उक्तानुसार आंगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन को अंकित कर भुगतान किया जायेगा। पुनरीक्षित पेंशन का विवरण पेंशनर व पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी प्रेषित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुये दिनांक 01.01.2016 से पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने पर कोई एरियर देय नहीं होगा तथा पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान दिनांक 01.11.2018 से किया जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

क्रमशः पृष्ठ–3

262

संख्याः-205 /xxvii(10)/2018/27(08)17 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।

3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4- निदेशक, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।

6.- निदेशक, ऑडिट, उत्तराखण्ड।

7- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11- अध्यक्ष/महासचिव, सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन, उत्तराखण्ड एवं गवर्नमेन्ट पेंशनर्स वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखण्ड।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

263

शासनादेश संख्याः 205/XXVII(10)/2018/27(08)17 दिनांक 15.10.2018 का संलग्नक प्रारूप।

पेंशनर का विवरण –

(a) जी0आर0डी0 संख्याः..... (b) बैंक अकाउंट नं0.....
(c) पेंशनर का नामः.....(d) पेंशन का प्रकार.....(अधिवर्षता/पारिवारिक)
(e) पी0पी0ओ0 संख्याः.....(f) पद का नामः.....
(g) आहरण वितरण अधिकारी कोडः.....(h) विभाग का नामः.....
(i) जन्म तिथिः.....(j) नियुक्ति की तिथिः.....
(k) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथिः.....(l) अर्ह सेवा अवधिः .....वर्ष.....माह.....दिन
(m) पैन नं0:.....(n) मोबाइल नं0:.....
(o) पारिवारिक पेंशनभोगी का नामः.....(p) जन्म तिथि .....
(q) पैन नं0:.....(r) मोबाइल नं0:.....

1. सेवानिवृत्ति की तिथि को वेतन/पेंशन –

(a) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को लागू वेतन आयोगः.....
(b) वेतनमानः.....(c) वेतनः.....
(d) मूल पेंशनः.....(e) पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर.....) तक.....
(f) पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर.....) से.....

2. प्रकल्पित वेतन के आधार पर संशोधित पेंशन –

क्र0सं0	विवरण	प्रकल्पित वेतन	पेंशन
1	चौथा वेतन आयोग		
2	पाँचवा वेतन आयोग		
3	छठा वेतन आयोग		
4	सातवा वेतन आयोग		
5	पारिवारिक पेंशन(बढ़ी दर पर)		
6	पारिवारिक पेंशन(साधारण दर पर)		

विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष/आ0वि0अधि0
(हस्ताक्षर)

कोषागार प्रयोगार्थः

आई0डीः

लेखाकार सं0कोषाधिकारी मुख्य/वरिष्ठ/
कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, शुक्रवार, 20 जुलाई, 2018 ई0

आषाढ़ 29, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 269 / XXXVI(3) / 2018 / 47(1) / 2018

देहरादून, 20 जुलाई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड–1 के अधीन श्री राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018" पर दिनांक 18 जुलाई 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 01 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018
(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01 वर्ष 2018)
(भारत गणराज्य के उनहत्तरवे वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018) मे अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है:–

संक्षिप्त नाम 1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ (संशोधन) अध्यादेश, 2018 है।

धारा 7 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 की धारा 7 की उपधारा (1) में "तैंतीस गुने" शब्द के स्थान पर "साढे सोलह गुना" शब्द रख दिये जायेगे।

(डॉ0 कृष्ण कान्त पॉल)
राज्यपाल,
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

(266)

संख्याः– ✓ /xxvii(10)/2018/54/2012

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–10

देहरादूनः दिनांक 22 अप्रैल, 2018

विषयः–प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक प्रदत्त सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः मैमो/नि0को0पें0ह0/पे0(सा0प0)/2017 दिनांक 08.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद प्रदत्त सत्रान्त लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि तथा सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु नहीं लिये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 128, दिनांक 25.04.2018 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्याः 128, दिनांक 25.04.2018 के प्रस्तर–3 को संशोधित करते हुए निम्नवत स्थिति स्पष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

"उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 208, दिनांक 03.08.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 03.08.2017 के पश्चात शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद प्रदत्त सत्रान्त लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि तथा सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु नहीं की जायेगी, परन्तु दिनांक 03–08–2017 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऐसे प्रकरण जो लम्बित हैं, का निस्तारण पूर्व की भाँति किया जायेगा।"

अतः उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

267

संख्याः– 160 / xxvii(10) / 2018 / 54 / 2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3– समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।

4– निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

268

संख्याः– /xxvii(10)/2018/54/2012

प्रेषक,

नन्दन सिंह बिष्ट,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 25, अप्रैल, 2018

विषयः–प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/शासन द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने उपरान्त शैक्षिक सत्र के अन्त तक प्रदत्त सत्रांत लाभ के दौरान अनुमन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 3547/नि0को0पें0ह0/पे0(सा0प0)/2017 दिनांक 15.09.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्रांत की अवधि को सेवानिवृत्त लाभ एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु गणना में लिये जाने अथवा न लिये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि सत्रान्त लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि एवं सेवानिवृत्ति लाभों हेतु की जा रही है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018' एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 208, दिनांक 03.08.2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 03.08.2017 के पश्चात शिक्षकों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद प्रदत्त सत्रान्त लाभ की अवधि की गणना वेतन वृद्धि तथा सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु नहीं की जायेगी। शिक्षकों को उनकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने की तिथि को ही सेवानिवृत्त माना जायेगा। सत्रान्त लाभ की अवधि में उन्हें अन्तिम आहरित वेतन माइनस पेंशन

कमशः पृष्ठ–2

सिद्धान्त के आधार पर भुगतान किया जायेगा। दिनांक 03.08.2017 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के ऐसे प्रकरण जो लम्बित हैं, का निस्तारण पूर्व की भांति करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव

संख्या– 128 /XXVII(10)/2018/54/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त कोषागार, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
25.4.2018
(नन्दन सिंह बिष्ट)
उप सचिव

रजिस्ट्रेशन संख्या–55 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 अप्रैल, 2018 ई0

चैत्र 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018

देहरादून, 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ विधेयक, 2018' पर दिनांक 12 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 17 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(271)

उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2018)

राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों की सेवावधि के उपरान्त सेवानिवृत्ति लाभ दिये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा अधिनियमित:

भाग–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ तथा लागू होना

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018 है।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से पूर्व राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों पर उनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की दशा में लागू होगा तथा कार्मिक की मृत्यु की दशा में ऐसे कार्मिक के आश्रितों पर लागू होगा;

परन्तु यह कि दिनांक 01.10.2005 से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिक नई अंशदान पेंशन योजना से शासित होंगे;

परन्तु यह और कि ऐसे कार्मिक की सेवा जो–

(क) पूर्णकालिक नियोजन की न हो;

(ख) संविदा, कार्य–प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन, तदर्थ व नियत वेतन में की गई सेवा;

(ग) अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् सेवाविस्तार/पुनर्नियोजित/सत्रान्त लाभ के रूप में की गई सेवा;

(घ) एक सेवा से दूसरी सेवा के मध्य सेवा व्यवधान।

(ङ) एक पद से दूसरे पद पर हुये स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण काल/बाह्य प्रतीक्षा काल के अतिरिक्त गैर अनुमन्य अनुपस्थिति की अवधि;

(च) बिना स्वीकृत उपभोग किये गये अवकाश अवधि;

(छ) सेवा में किसी भी प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति जिसकी स्वीकृति हेतु अवकाश शेष न हो;

उपरोक्त खण्ड (क) से (छ) तक उल्लिखित सेवाओं के लिये पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

2 यह अधिनियम इससे पूर्व बनाई गई किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

3 जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:—

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(घ) 'पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी' से समय-समय पर सरकार द्वारा इस रूप में अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) 'पेंशन' में उपदान सम्मिलित है, सिवाय उस स्थिति में जब मात्र सेवा उपदान देय हो, वह पेंशन का भाग नहीं होगा।

(च) 'परिलब्धि' से ऐसा वेतन अभिप्रेत है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-दो से चार में परिभाषित है।

(छ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति है जो संविदा, कार्य-प्रभारित, अंशकालिक, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ व नियत वेतन में नियुक्त न हो, और जिसका चयन सेवा संबंधित सेवानियमों के अनुसार किया गया हो, अभिप्रेत है;

(ज) 'स्थायी एवं अस्थायी सेवा' से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राजकीय विभाग में स्थाई व अस्थाई पद

पर मौलिक रूप से नियुक्ति के पश्चात् की गई हो।

(झ) सरकारी सेवक से ऐसे सरकारी सेवक (चाहे वह किसी श्रेणी के हो) अभिप्रेत है, जो सरकार के अधीन पेंशन अर्हता पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

(ञ) अर्हकारी सेवा से ऐसी सेवा अभिप्रेत है, जो राज्याधीन सेवाओं के अधीन मौलिक/नियमित रूप से की गई की सेवावधि है।

(ट) सेवानिवृत्ति से अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवा से पदमुक्त अभिप्रेत है,

(ठ) विहित से नियमों में विहित अभिप्रेत है।

भाग–दो

पेंशन

पेंशन हेतु अर्हता

4. पेंशन के लिये सेवा निम्न शर्तों के अधीन अर्हकारी होगी–

(क) सेवा राज्य सरकार के अधीन मौलिक तथा नियमित रूप से की गई हो।

(ख) सेवा को सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु तब अर्हकारी सेवा समझा जायेगा जब सम्बन्धित कार्मिक किसी अधिष्ठान में स्थायी/अस्थायी रूप से सृजित किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो।

पेंशन की धनराशि

5. पेंशन की धनराशि सेवा के अन्तिम दिवस को आहरित मूल वेतन अथवा सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व के 10 माह की औसत वेतन, जो भी कार्मिक हेतु लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी,

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी और विहित अधिकतम पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

पेंशन अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि का निर्धारण

6. (क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि को एक वर्ष माना जायेगा तथा छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।)

(ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पैशन अनुमन्य होगी।

(ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी;

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी।

भाग–तीन
सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान

7. (1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित मासिक परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगी–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना

पेंशन अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि का निर्धारण

6. (क) 10 वर्ष से न्यून अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। (छः माह और छः माह से अधिक अवधि का एक वर्ष माना जायेगा तथा छः माह से कम की अवधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।)

(ख) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(ग) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम हो तो, पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी;

परन्तु उक्त राशि किसी भी दशा में राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम पेंशन की धनराशि से कम नहीं होगी।

भाग–तीन

सेवानिवृत्ति / मृत्यु उपदान

सेवानिवृत्ति उपदान / मृत्यु उपदान

7. (1) सेवानिवृत्ति उपदान की दर अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये मासिक परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित मासिक परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(2) मौलिक रूप से नियुक्त किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर मृत्यु उपादान की राशि निम्नवत होगी–

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु उपदान की राशि
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना

	06 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
	11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
	20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के आधे के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के तैंतीस गुने के बराबर अथवा राज्य सरकार द्वारा नियत अधिकतम सीमा तक, जो कम हो, से अधिक नहीं होगी।

भाग–चार

पारिवारिक पेंशन

पारिवारिक पेंशन

8. (1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित मासिक वेतन के 30 प्रतिशत की दर साधारणतया की जायेगी;

परन्तु यह कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम एवं अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा नियत की गई धनराशि से अधिक न हो।

(2) सरकारी सेवक/पेंशनर की मृत्यु की दशा में परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक अथवा दिवंगत सरकारी सेवक/पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु पात्रता

9. पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" के निम्न सदस्य पात्र होंगे:–

(1) पत्नी/पति।

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को

इस प्रतिबन्ध के साथ कि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाये अथवा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो। उपधारा (2) एवं (3) में उल्लिखित सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गई सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

(4) दिव्यांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं होगा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी/पति तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जायेगा।

(5) राजकीय कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तें होंगी–

(क) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जायेगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहराई जाती।

(ख) 25 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी, जब कि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिये पात्र नहीं रहें हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निशक्त सन्तान नहीं है।

पेंशन के एक भाग का राशिकरण

10. (क) कुल आगणित पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत की धनराशि का राशिकरण राज्य सरकार द्वारा नियत सूत्र के अनुसार अनुमन्य होगा। पेंशनर को यह सुविधा उसकी सहमति के आधार पर देय होगी।

(ख) राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पी०पी०ओ० निर्गत होने के तीन माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

पेंशन में वृद्धि

11. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी:—

पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से अनधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत

100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का शत–प्रतिशत

भाग–पांच

प्रकीर्ण

प्रकीर्ण 12 (1) सेवा निवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिसके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय, न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण में जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो में अनन्तिम पेंशन एवं उपादान ऐसे अनुमन्य होगी जैसे विहित की जाय।

(2) सेवा से पदच्युत व्यक्ति को पेंशन, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति 13 (1) इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम, विधान मण्डल के समक्ष रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,

प्रमुख सचिव।

No. 193/XXXVI(3)/2018/27(1)/2018

Dated Dehradun, April 13, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018"** (Adhiniyam Sankhya **17 of 2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12 April, 2018.

The Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018

(Uttarakhand Act No. 17 of 2018)

AN

ACT

for providing benefits after the retirement of substantively appointed personnel under the State Government services.

Enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the 69th Year of the Republic of India;

Part-I

Short title, commencement and application of the Act

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Retirement Benefits Act, 2018.

(2) This Act shall be applicable on the personnel substantively appointed before the date of 1st October, 2005 under the services of State Government in the case of their completion of superannuation age, voluntary retirement and compulsory retirement and in the case of death of any personnel, on the dependents of such personnel;

Provided that the personnel appointed substantively from the date of 1st October, 2005 shall be governed by new contributory pension plan;

Provided further that such service of personnel which are:-

(a) Not in full time employment;

(b) done on contract, work charge, part time, daily wages, adhoc and fixed salary;

(c) done as extension of service/ re-appointment/ end of session benefit after completing superannuation age.

(d) break in service from one service to another service;

(e) unauthorized absence except the period of joining/compulsory waiting period as a result of transfer from one post to another post;

(f) period of leave without sanction;

(g) any kind of absence in service, for which the leave is not due;

281

pension shall not permissible for the services mentioned in the clause (a) to (g) above.

Overriding effect 2. Notwithstanding anything contained in any other law made before the commencement of this Act, the provisions of this Act shall prevail.

Definitions 3. Unless anything is repugnant to the subject and context, in this Act-:

(a) 'Constitution' means the Constitution of India.

(b) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;

(c) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand.

(d) 'Pension Sanction Officer' means officer authorised as such by the Government from time to time;

(e) Pension includes gratuity except when only service gratuity is payable, it will not be part of pension.

(f) 'Emolument' means such salary which is defined under Financial Hand Book Volume-II Part- II to IV;

(g) 'Substantive appointment' means such appointment on a post in any cadre of service which is not an appointment on contract, work charge, part time, daily wages, adhoc and on fixed salary and selection for which has been made in accordance with relevant service rules;

(h) 'Permanent and Temporary service' means such service which has been done after substantive appointment on permanent and temporary post in any Government department.

(i) 'Government Servant' means such Government servant who may belong to any class who is substantively appointed under the government on a post which qualifies for pension;

(j) 'Qualifying service' means period of service which has been done as substantive / regular service under the State Government;

(k) 'Retirement' means to relinquish office from Government service on superannuation, voluntary retirement and compulsory retirement;

(l) 'Prescribed' means prescribed in rules.

(282)

Part II

Pension

Eligibility for pension 4 The service shall be qualifying service for pension according to following conditions-

(a) The service has been done substantively and regularly under the State Government;

(b) The service shall be taken as qualifying service for retirement benefits when the employee is substantively appointed on permanent/ temporary created post in any establishment.

Amount of Pension 5 Amount of pension shall be equivalent to the 50% of drawn basic pay on last day of the service or average salary of 10 months before the retirement date, whichever is beneficial for the pensioner;

Provided that the said amount shall not be less than the amount of minimum pension prescribed and shall not be more than the amount of maximum pension prescribed by the State Government.

Determination of period of service for allowing pension 6 (a) Pension shall not be permissible if services are for less than ten years (six months and more than six months shall be considered one year and the period of less than six months shall not be calculated).

(b) Whole pension shall be permissible on service of twenty years.

(c) If qualifying service is of more than ten years but less than twenty years, then amount of pension shall decrease in proportion;

Provided that the said amount shall not be less than the amount of minimum pension prescribed by the State Government.

Part-III

Retirement/ Death Gratuity

Retirement gratuity/death gratuity 7 (1) The amount of retirement gratuity shall be equal to half of the monthly emoluments for every completed half year period of qualifying service, the maximum limit of which shall not be

283

more than 33 times of last drawn monthly emoluments or the maximum limit prescribed by the State Government, whichever is less.

(2) The amount of death gratuity on the death of any substantively appointed Government servant shall be as under:-

Period of qualifying service	Amount of death gratuity
less than one year	double of monthly emoluments
more than one year but less than five years	six times of monthly emoluments
five years or more than but less than eleven years	twelve times of monthly emoluments
eleven years or more than but less than twenty years	twenty times of monthly emoluments
twenty years or more than twenty years	The amount shall be equal to half of the monthly emoluments for every completed half year period of qualifying service, the maximum limit of which shall not be more than 33 times of last drawn monthly emoluments or the maximum limit prescribed by the State Government, whichever is less.

Part IV

Family Pension

Family Pension 8. (1) The family pension ordinarily shall be calculated at the rate of thirty percent of last drawn monthly salary;

Provided that the minimum and maximum amount of family pension shall not be more than the amount fixed by the State Government.

(2) In case of death of Government servant / pensioner, family pension is permissible to family at increased rates for the period of ten years from the date of death or attaining the age of 67 years of deceased Government servant/pensioner, whichever is earlier.

284

Eligibility for permissiveness of family pension

9. Following members of family shall be eligible for allowing the family pension-

(1) wife/ husband;

(2) Son less than the age of 25 years on the date of death with the restriction that if he starts earning livelihood then till the date of earning livelihood or the age of 25 years, whichever is earlier.

(3) Unmarried daughter, less than age of 25 years on the date of death with the restriction that if she starts earning livelihood or she gets married or till the completion of age of 25 years, whichever is earlier. Children mentioned in sub-section (2) and (3) include step and legally adopted children before retirement.

(4) There shall be no restriction of age for disabled or mentally challenged children who are eligible for family pension under the provisions of this Act. Widow or divorcee daughter shall also be included in family.

If spouse or eligible children of the deceased Government servant in above mentioned categories are not available, then his mother/father, who were fully dependent on him, will be included in his family.

(5) There shall be the following conditions to make the unmarried daughters of Government employees /pensioners eligible even after attaining the age of twenty five years-

(a) family pension to unmarried daughter shall be sanctioned according to their date of birth and the younger daughter shall not be eligible for family pension till the elder daughter next to her is declared ineligible;

(b) unmarried daughters of more than twenty five years shall be eligible for family pension only when other eligible children under age of twenty years are not eligible for pension and there is no disabled child in family to receive family pension.

Commutation of a part of pension

10. (a) Commutation of maximum forty percent amount of total calculated pension shall be permissible according to the formula prescribed by the State Government. This facility is provided for the pensioner on the basis of his consent.

285

संख्याः 41 /XXVII(7)50(4)/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय :पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजित सरकारी सेवाओं में वेतन इत्यादि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को जनहित में एवं अपरिहार्यता होने पर पुनर्नियुक्ति प्रदान करने पर उनके वेतन/भत्तों आदि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेष संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 में व्यवस्थायें उपबन्धित की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को अतिकमित करते हुए पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी सेवकों के पुनर्नियोजन की अवधि में सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद 520 में निहित प्राविधान के अनुसार वेतन निर्धारण एवं वेतन की अनुमन्यता उन्हीं मामलों में रहेगी जिसमें पुर्ननियोजन के पद का दायित्व नितान्त वैज्ञानिक, उच्च तकनीकी अथवा विशेषज्ञता से युक्त हो। पुनर्नियोजन की अवधि में, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के दिनांक को अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर जो धनराशि प्राप्त होगी, वह पुनर्नियुक्ति अवधि में उसका वेतन होगा। मंहगाई भत्ता उक्त वेतन एवं पेंशन पर समान रूप से पृथक–पृथक अनुमन्य होगा। यदि किसी अतिविशिष्टि विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति के प्रकरण मे अधिक धनराशि दी जानी आवश्यक है तो वित्त विभाग के परामर्शोपरान्त मा0 मंत्रिमण्डल की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
2. विधिक, प्राविधिक, वैज्ञानिक एवं ऐसी प्रकृति के पदों, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण, योग्यता एवं दक्षता की आवश्यकता हो, को छोड़कर सामान्य प्रशासनिक कार्यों, अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्यों तथा विभाग की प्रकृति से सम्बन्धित रूटीन कार्यों के सम्पादन के लिए पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। नितान्त अपरिहार्यता के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष की मांग/संस्तुति पर सम्बन्धित प्र0वि0 द्वारा प्रस्ताव पर विचार करते समय सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व सेवा का इतिहास/स्वास्थ्य/अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि का भलि–भांति प्रशिक्षण करके औचित्य के साथ कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति से संविदा के आधार पर सलाहकार/परामर्शी, विशेष कार्याधिकारी, विशेषज्ञ समन्वयक आदि नामों से निःसंवर्गीय पद सृजित करते हुए नियत मानदेय पर तैनाती की जायेगी। उक्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्त की तिथि को अंतिम आहरित वेतन (शुद्व वेतन) का 40 प्रतिशत नियत मानदेय अनुमन्य किया जायेगा। नियत मानदेय पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
3. पुनर्नियुक्ति/नियत मानदेय पर तैनात कार्मिक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से सम्बन्धित अन्य भत्तें, जो सेवारत रहते उन्हें अनुमन्य रहे हों, देय नहीं होंगे अर्थात पुनर्नियुक्ति की अवधि में मात्र वेतन एवं वेतन में देय महंगाई भत्ता अथवा नियत मानदेय जैसी भी स्थिति हो, ही देय होगा।
4. पुनर्नियुक्त/पुनर्नियोजित कार्मिक को सरकारी आवास व सरकारी वाहन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
5. पुनर्नियोजन की अवधि पेंषन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। इस अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाशों एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन/नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. पुनर्नियोजन की अवधि में सरकारी सेवक को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस वेतनमान के सापेक्ष अनुमन्य होंगे जिसके विरूद्ध उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया हो।
8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवक की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि प्रत्येक वर्ष के फरवरी माह के अन्तिम दिवस तक होगी। पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
9. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन संबधी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173/XXX(2)2013–3(1)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रस्तर–3 में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति होने पर ही किसी विभाग में पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के प्रस्तावों पर वित्त विभाग में विचार किया जायेगा।
10. समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नहीं किया जायेगा।

2– पूर्व में नियोजित कार्मिक, जिन्हें शासनादेश संख्या 319/XXVII–7/2012, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 की व्यवस्था के अनुरूप वर्तमान में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सुविधाऐं प्राप्त हो रही है, उन्हें उक्त सुविधायें उनके वर्तमान कार्यकाल तक अथवा 28 फरवरी, 2018 तक जो भी पहले हो, तक ही अनुमन्य होगी।

3– पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन की अवधि में उक्त कार्मिको को वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

4– पुनर्नियुक्ति केवल निःसंवर्गीय पदों पर की जायेगी। निःसंवर्गीय पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा।

5– उक्त शासनादेश संवैधानिक पदधारकों पर लागू नहीं होगा।

6– इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश व नियम उक्त सीमा तक संशोधित/अतिक्रमित समझे जांए। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : /XXVII(7)50(4)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह स्टैट इन्टरनल ऑडिटर, देहरादून।
10– निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य एकक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– समस्त विभागीय वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

(87)

संख्याः– ✓ /18/xxvii(10)2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 17 अगस्त जुलाई, 2017

विषयः–सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं पेंशन अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्याः 25/xxvii(7)द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13.02.2009 द्वारा राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान/पेंशन अनुमन्य किया गया था।

2. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन विषयक एवं दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के राजकीय पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या कमशः 266/45/xxvii(10)2016 व 267/45/xxvii(10)2016 दिनांक 30.12.2016 के समस्त मूल सिद्धान्त राज्य सरकार के अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं पेंशनरों (यू0जी0सी0,

288

ए0आई0सी0टी0, आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) पर लागू किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर पेंशनरों को महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कार्मिकों/पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते के अनुसार अनुमन्य होगा।

3. इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा राजकीय पेंशनरों हेतु जारी आदेश यथावत लागू किये जायेंगे।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या— 173 /18/xxvii(10)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव

289

संख्याः– / 17 / xxvii(10)2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन(लेखा) विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला,
देहरादून।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषयः–केन्द्रीय सातवें वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–38/37/2016 –पीएपीडब्ल्यू(ए) दिनांक 12.05.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** के प्रस्तर–4 में व्यवस्था की गई है कि 01.01.2016 से पूर्व के सेवानिवृत्त/मृत सभी केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में 01.01.2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन उस वेतनमान/वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन, जिस पर वे सेवानिवृत्त हुये/उनकी मृत्यु हुई, में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतन मैट्रिक्स में संगत वेतन लेवल में कल्पित(Notional) आधार पर उनका वेतन निर्धारित करके संशोधित की जाये। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह भी प्राविधान है कि यह संशोधन, वेतन में संशोधन के सूत्र के आधार पर बीच–बीच में आये प्रत्येक वेतन आयोग के तहत कल्पित वेतन का निर्धारण करते हुये किया जायेगा। 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, कल्पित वेतन का 50 प्रतिशत, 01.01.2016 से संशोधित पेंशन होगी और इस कल्पित वेतन का 30 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन होगी।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण भारत सरकार

के उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 12.05.2017 एवं तत्क्रम में जारी अन्य आदेशों के प्राविधानानुसार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः–२११ /17/xxvii(10)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

7– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(291)

संख्याः– / XXVii(10)/2017/09(36)07

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 19 जून, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की अनुमन्यता विषयक।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन ऐसे पारिवारिक पेंशनरों, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा में अथवा उनके नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश संख्या–45/73/97–पी एण्ड पी डब्ल्यू(जी), दिनांक 02.07.1999 के अनुसार केन्द्र सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो सेवायोजित हैं, को उनकी पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

3. शासन को निरन्तर इस प्रकार के प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित पारिवारिक पेंशनरों को वेतन पर महंगाई भत्ते के साथ–साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत का भुगतान अनुमन्य किया जाये।

4. प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवाओं में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक

क्रमशः पृष्ठ–2,

पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर महंगाई भत्ते के भुगतान के साथ–साथ पारिवारिक पेंशन पर भी महंगाई राहत का भुगतान अनुमन्य होगा, किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

5. इस शासनादेश के क्रम में, सेवायोजित पारिवारिक पेंशनर द्वारा पारिवारिक पेंशन पर राहत का भुगतान प्रारम्भ किये जाने हेतु अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त आवेदन के आधार पर कोषागार द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से पारिवारिक पेंशन पर प्रचलित दर से महंगाई राहत का भुगतान प्रारम्भ किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 175/xxvii(10)/2017/09(36)07 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
4– समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः— /42/XXVii(10)/16/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—10 देहरादूनः दिनांक 16 जून, 2017

विषयः— दिनांक 01.10.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान की अनुमन्यता विषयक।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, शारीरिक/मानसिक अक्षमता हो जाने की दशा में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से कार्यालय ज्ञाप संख्या— 272/XXVII(7)56/2011 दिनांक 09.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या—7/5/2012—पी0एण्ड0पी0डब्ल्यू(एफ)/बी दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) से आच्छादित कार्मिक, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तों पर सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या—7/5/2012—पी0एण्ड0पी0डब्ल्यू(एफ)/बी दिनांक 26.08.2016

क्रमशः पृष्ठ—2,

के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 01.10.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान (Retirement Gratuity) और मृत्यु उपदान (Death Gratuity) का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भांति अनुमन्य होगा।

4. यह आदेश दिनांक 01.10.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्याः— 174/42/XXVii(10)/16/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।

3— निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।

4— मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।

5— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6— प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

सं . 138 /2017/ /XXV [illegible] (10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 15 मई, 2017

विषय– सात [illegible] केन्[illegible] वेतन [illegible] पर केन्द्र स[illegible]र द्वारा लिये गये निर्[illegible] के [illegible] में [illegible] रा[illegible], उत्त[illegible] (2016) सं[illegible] करने के फ[illegible] दि[illegible] 01–01–2016 के [illegible] र[illegible] से[illegible] के [illegible]रों/ [illegible]नरों [illegible] पुन[illegible] जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–10 में प्राविधान किया गया था कि "पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 त[illegible] पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2016 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक पुनरीक्षित पेंशन के अवशेष देयता (Arrears) की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त के रूप में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष भुगतान के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या 138/2017/45/XXV[illegible](10)/2016 तद्[illegible]।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

पर

संख्या–113 / /XX

प्रेषक,

पन्त,

शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर ड शासन
2. समस्त ागा /कार्याल ध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 हरादून : ांक :

विषयः– दिनां 01, अक्टूबर, से ू ान योजना अन्त रूप में होने वाली कटौतियों को ज करने ु केया एवं सुसंगत संश

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 01.10.2005 के पश्चात राजकीय से अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या– 21/XXVII(2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदायी पेंश किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के संख्याः–643/XXVII(7) (अं0पे0यो0)/2010 दिनांक 11.08.2010 के प्र प्राविधानानुसार उक्त पेंशन योजना में कर्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश कोषागार द्वारा लेखाशीर्षक–"0071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों 00–117–नई पेंशन योजना, 01–कर्मचारी का अंश, 02–नियोक्ता का अंश" के न जाने की व्यवस्था की गई थी।

2. उक्त व्यवस्था के प्राविधानानुसार अंशदान के रूप में कटौती की गई लेखांकन सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाक द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन (2015–16) में कतिपय आपत्ति दर्ज की गई है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मिकों के 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती उनके लेखाशीर्षक से करते हुये लेखाशीर्षक 8342011170301 में जमा किया जाये समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में लेखाशीर्षक 2071011170301 से लेखाशीर्षक 8342011170302 में जमा की जायेगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक 8342

प्रेषक,

अमित
सचिव,
उत्तरा

सेवा में,

निदेश
कोषाग
उत्तरा

वित्त अनुभाग–10

विषयः– 09 नव
दिनांक

महोदय,

उपर्युक्त
की गई है कि
पुनरीक्षण के निर्ण
का निदेश हुआ है
वेतन आयोग की
दिनांक 01.01.201
दिनांक 30.12.201

संख्याः–79 /02/X

प्रतिलिपि निम्नलि

1– महालेखाक
2– समस्त मु
3– प्रभारी, ए
4– गार्ड फाई

(301)

/45, 10/201

नाक

प्रकरण
लिया

6–
निम्नलि
होगी।

पेंशनर
80 व
85 व
90 व
95 व
100

टिप्पणी
उदाहर
10,000
अतिरि
(ii) अ

द्वारा पे
अलग
आदि
पेंशन प्र
अंकित

7–
तो दि
पुनर्नियु

8–
राहत

9– इन आदेशों के अन्तर्गत
किया जायेगा। पेंशन/पारिवारि
जाने की अपेक्षा न की जाये।

10– पुनरीक्षित पेंशन का दि
01 जनवरी, 2016 से दिनांक
भुगतान के सम्बन्ध में वित्त वि

संख्याः– / /XXVII(10)/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचन
1– महालेखाकार (लेखा एवं
2– महालेखाकार (लेखा एवं
3– समस्त प्रमुख सचिव/स
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्र
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/को
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सं
9– गार्ड फाईल।

(2

शिकर

परि

फोन

(2) वेतन

उ किये

अ

I

एवं अ

(3)

पेंशन–

न

यदि क

समस्त पेंशन द

9000/– निर्धा

पें

प्रकरण न्यून

लिया जायेगा।

6– 80 वर्ष

से अनुमन्य पेंश

कराया जायः–

80 वर्ष
85 वर्ष से 90 व
90 वर्ष से 5
9 वर्ष से 100
100 वर्ष या उस

उपर्युक्त

प्राधिकार–पत्र मे

उल्लेख

पेंशन स्वीकृता

प्राधिकार पत्र में

करेंगे।

7–

(1) 10 व

में पू

(2) 20

(3) 20

सेवा

(अ)

(ब)

परिवा

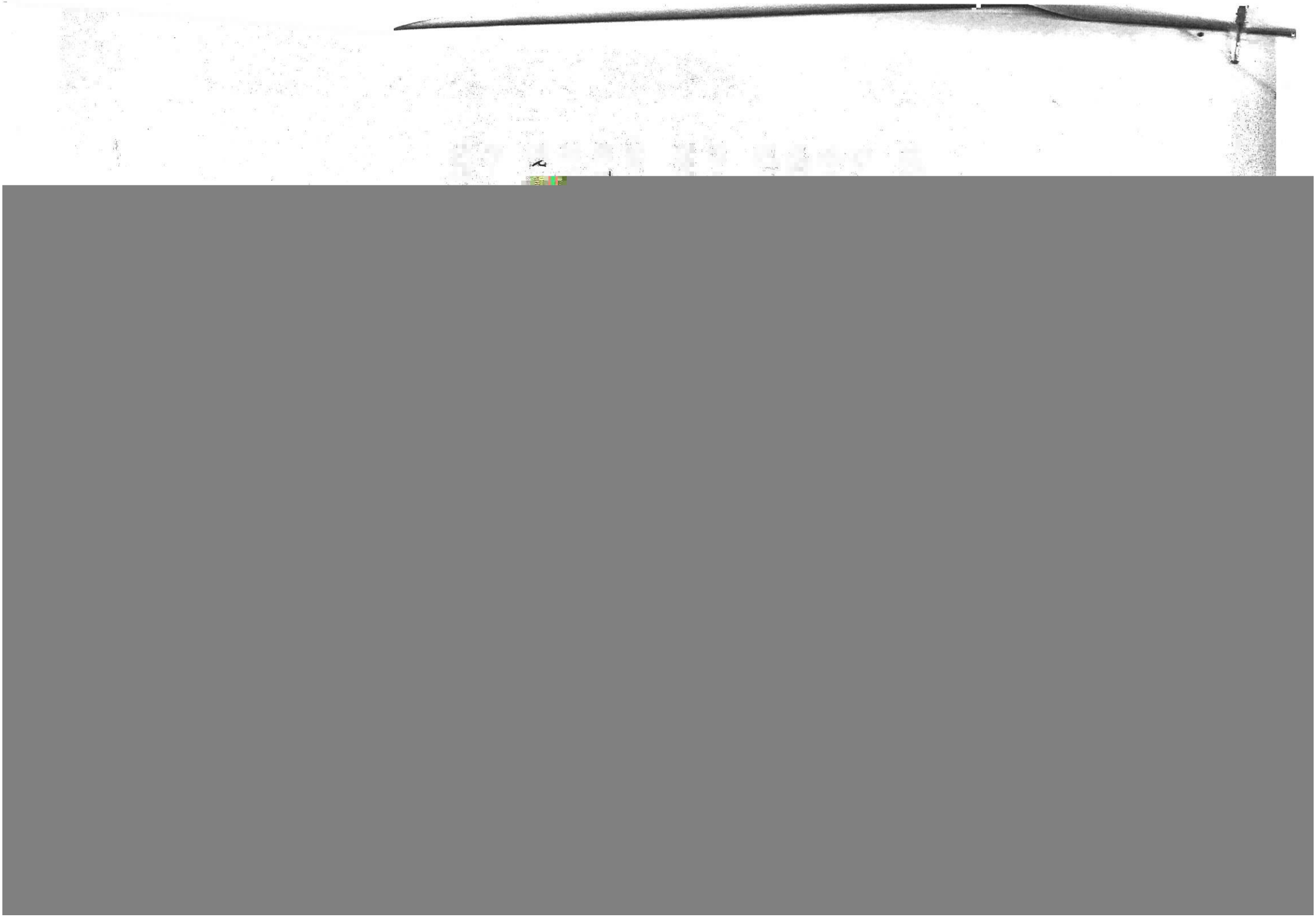

संख्या:– र ।

प्रतिलिपि नि एवं र्थ, हेतु :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्त ण्ड, देहरादून।

2– महालेखाकार (ले. एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– निदेश , कोषागार, उत्तर प्र , लखनऊ।

6– निदेशक, कोषागार, शन एवं हकदारी, 23, लक्ष रोड, डालनवाला, देहरादून।

7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोष ी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– प्रभारी, एन0आई0सी0, परिसर, देहरादून।

9– गार्ड फा ल।

से,

(पन्त)

अपर

-(6/6)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–10
संख्याः–21 / /xxvii(10)/2016
देहरादूनःदिनांक 14, अक्टूबर, 2016

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–38/37/08–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ए) दिनांक 06.04.2016 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड–2008, की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फल स्वरूप दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण विषयक कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्याः–835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28.02.2011 के प्रस्तर–2 में निर्गत स्पष्टीकरण को निम्नवत संशोधित समझा जायेः–

"दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुये पेंशनभोगियों की सेवा 33 वर्ष से कम परन्तु 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा होने की स्थिति में भी, पेंशन को यथानुपात घटाये बिना, पेंशन का निर्धारण **संशोधित संलग्न** तालिका के अनुसार किया जायेगा, जो संशोधन पूर्व वेतनमान के सादृश्य (Corresponding) वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन और ग्रेड–पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

2. संलग्न तालिका में दी गई दरें दिनांक 01.01.2006 से लागू होंगी व न्यूनतम पेंशन की राशि का निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से कोई वसूली नहीं की जायेगी। इस आदेश के अर्न्तगत पेंशन का संशोधन उस कोषागार द्वारा किया जायेगा, जहां से पेंशनर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है।

3. उपर्युक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्याः–421/XXVII(7)पेंशन/2008 दिनांक 27.10.2008 व 835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28.02.2011 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा इनकी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नकः–संशोधित तालिका।

भवदीय,

(अमित नेगी)
सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्याः–215/52/XXVII(10)/2016 दिनांक 14,अक्टूबर, 201

क्र.सं.	दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व लागू वेतनमान(रू0 में)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे(रू0 में)		न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग	वर्तमान लागू दिनां 01 जनवर 2006 निर्धारित न्यूनतम पेंश
1	2	3		4	5
1	2750-70-3800-75-4400	5200-20200	1800	7330	3500
2	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900	7780	3865
3	3200-85-4900	5200-20200	2000	8060	4230
4	4000-100-6000	5200-20200	2400	9840	4955
5	4500-125-7000	5200-20200	2800	11170	5680
6	4500-125-7250	5200-20200	2800	11170	5680
7	5000-150-8000	9300-34800	4200	13500	6750
8	5500-175-9000	9300-34800	4200	14430	6750
9	6500-200-10500	9300-34800	4200	16290	6750
10	7450-225-11500	9300-34800	4600	18460	8570
11	7500-250-12000	9300-34800	4800	18750	9075
12	8000-275-13500	15600-39100	5400	21000	10500
13	8550-275-14600	15600-39100	5400	21000	11100
14	10000-325-15200	15600-39100	6600	25200	12675
15	10650-325-15850	15600-39100	6600	26410	12675
16	12000-375-16500	15600-39100	7600	29920	14750
17	14300-400-18300	37400-67000	8700	46100	23050
18	16400-450-20000	37400-67000	8900	48590	24550
19	18400-500-22400	37400-67000	10000	54700	26500
20	22400-525-24500	37400-67000	-	67000	33500

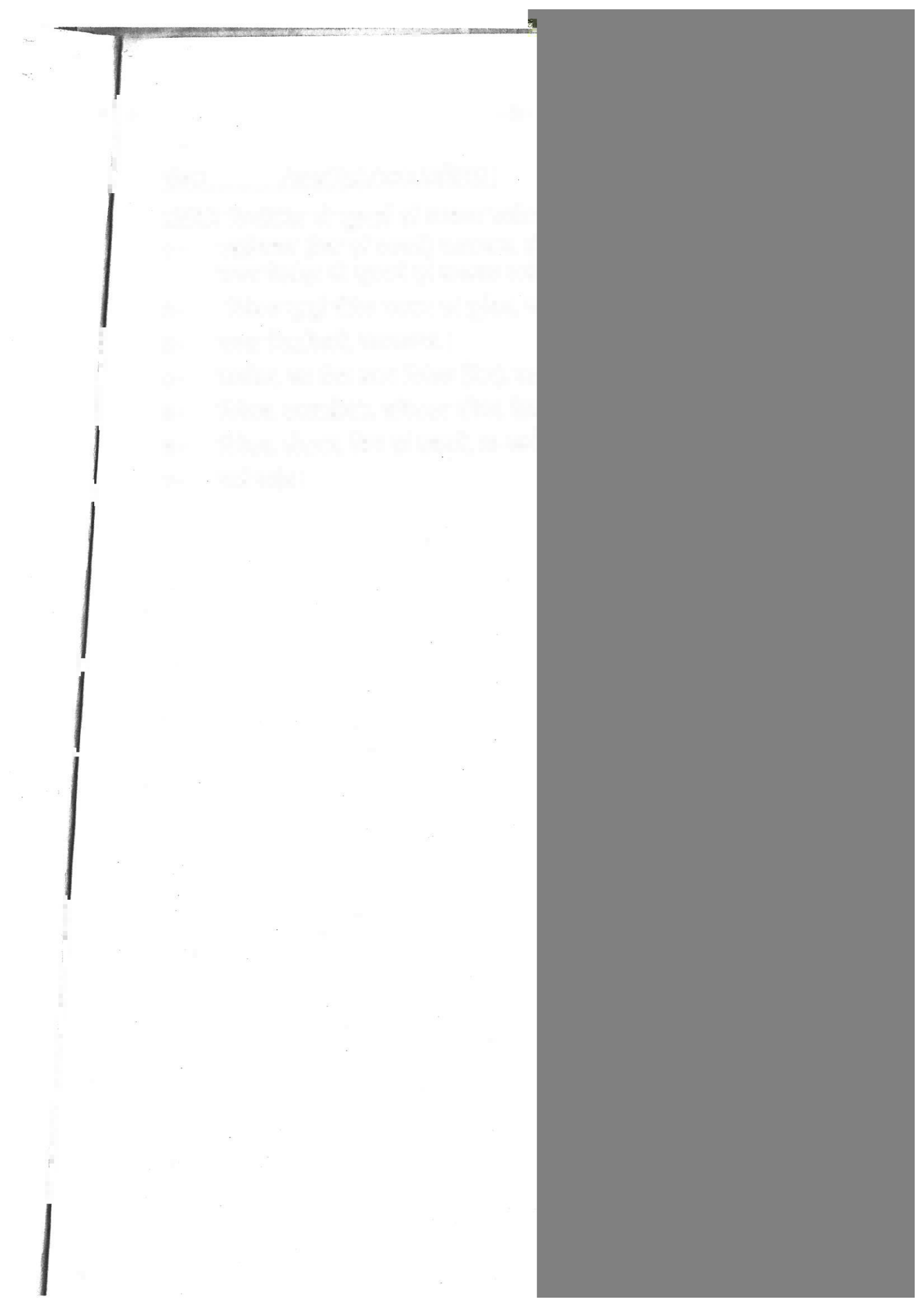

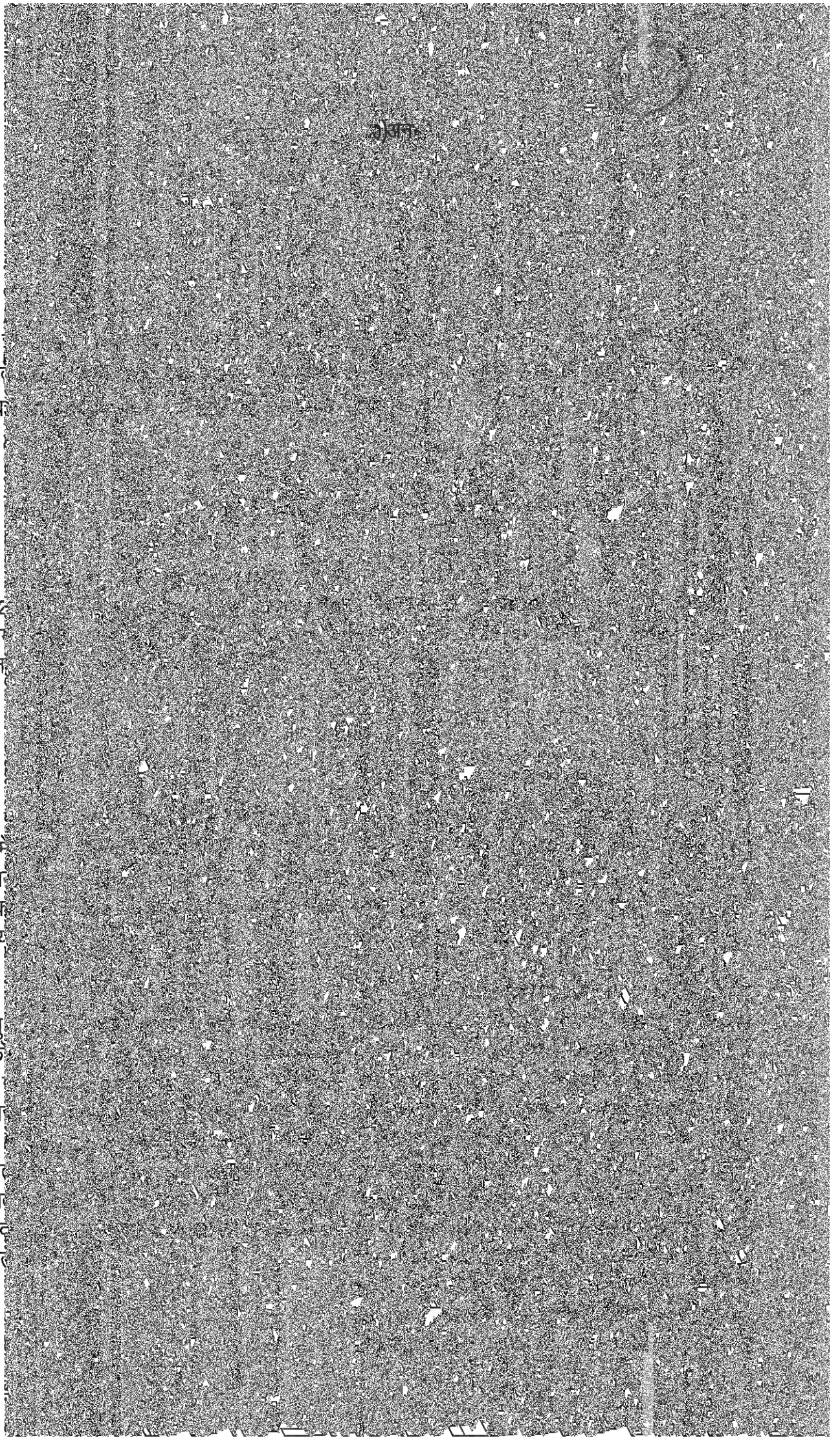

प्रशासकीय कारण से अथवा
पूर्ति हेतु उसे अपने पद
और त्यागपत्र स्वीकार करने
प्रमाण पत्र दे दिया हो
अनुमति से प्रशासकीय कार
आवश्यकता की पूर्ति के लि
ग्रहण करने के लिए दिया ग

प्रतिबन्ध यह है कि के
प्रदेश या अन्य राज्य सर
नियमित नियुक्त कार्मिकों
पेंशनेबुल रही हो, को उनकी
सेवानिवृत्तिक लाभों के प्र
दृष्टिगत उन्हें अपने पूर्व पैतृ
सरकार, केन्द्रशासित प्रदेश
अधीन की गई कुल सेवावधि
पेंशन उपादान, राशिकरण
अंशदान की धनराशि उत्त
नियमों के अनुसार उत्तरा
लेखाशीर्षक के अन्तर्गत
होगा।

उक्त कार्मिकों के भ
धनराशियों का अन्तरण ए
सामान्य भविष्य निधि नियम
प्राविधानों के अनुसार व्यवहृत

(डॉ

संख्या– 13 /2015/9(13)/xxvii(10)/2011

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–10

देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2015

विषयः– अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुये पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–184/2013/9(13)/xxvii(7)/2011 दिनांक 18 अप्रैल, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–3 में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (दिनांक 09.11.2000), जो उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09.11.2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानान्तरित किये गये हैं तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तथा जिनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 40,000 तक हैं, उनके संबंध में स्वीकर्ताधिकारी विभागाध्यक्ष के स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष होंगे, किन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तर्राज्यीय समायोजन के माध्यम से किये जायेंगे।

2– उक्त के संदर्भ में पेंशनर्स द्वारा वित्त विभाग के अन्य शासनादेश संख्या–286/2011/9(ii)/xxvii(7)/2011, दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 के अनुसार, विभागाध्यक्षों के स्तर से रू0 40,000 तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण की व्यवस्था बहाल किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

3– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, पेंशनर्स द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के प्रस्तर–3 के अन्त में निम्नलिखित अंश को सम्मिलित किया जायः–

"लेकिन यदि किसी विभाग के कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य में स्थित न हो तो उनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण पूर्व की भांति विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जायेगा"।

4– उक्त शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2013 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

318

पृष्ठांकन संख्या- 13/2015/9(13)/xxvii(10)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, उच्च न्यायायल, नैनीताल।
8. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, देहरादून।
11. क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की।
15. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Letter section/

319

संख्याः \ /xxvii(7)30(1)/2008

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉकः06 मार्च, 2014

विषयः– दिनांक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के, वेतन समिति उत्तराखण्ड, 2008 की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप, पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01–01–2006 से निम्नानुसार किया जाये :–

(1)– अन्तिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश।

(2)– महंगाई पेंशन जहां अनुमन्य है।

(3)– मूल पेंशन तथा महंगाई पेंशन के योग पर मूल्य सूचकांक 536 पर आधारित दिनांक 01–01–2006 को महंगाई राहत 24 प्रतिशत।

(4)– मूल पेंशन का 40 प्रतिशत के फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि।

जिन प्रकारणों में पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महंगाई पेंशन सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महंगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि दिनांक 01–01–2006 से, सादृश वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी, तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि रु 3500/– प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

2– इस प्रकार आगणित राशि दिनांक 01–01–2006 से मूल असाधारण पेंशन मानी जायेगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

320

संख्याः–50 (1)/xxvii(7)30(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)

अपर सचिव।

(321)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 676 / XXVii(7)30(1) / 2008
देहरादून : दिनांक 02 सितम्बर, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– कार्यालय ज्ञाप संख्या–419 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–8(2)(क)(3) के क्रम में पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने की न्यूनतम सीमा राशि।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, 2008 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 419 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक, पेशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनर्निर्धारण / समायोजन किया गया।

उक्त कार्यालय ज्ञाप सं0–419 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–8(2)(क)(3) के अगले प्रस्तर में यह व्यवस्था की गई थी, "यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं हैं, तो उसके माता / पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मलित समझा जायेगा, पूर्णतया आश्रित होने पर जीविको पार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।"

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं हैं, तो उसके माता / पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य मंहगाई राहत पर निर्धारित होगा।

2– उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जायेगें।

भवदीय,
(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव ।

322

संख्या– 676 /XXVii(7)30(1)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ट, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

(323)

संख्या:666/XXVII(7)50(12)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड ।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 देहरादून: दिनॉक:26 अगस्त, 2013

विषय:- अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-286/XXVII(7)09(II)/2011 दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 एवं संख्या-184/XXVII(7)09(13)/2011 दिनांक 18 अप्रैल, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान के संबंध में है।

2- उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान निम्नांकित लेखा शीर्षकों से किया जायेगा:-

1. ऐसे पेंशनर जो दिनांक 09-11-2000 के पूर्व के हैं और उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति लेखा शीर्षक:-2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ- 01 सिविल-800-अन्य व्यय-0401 उ0प्र0 पुनर्गठन के अधीन-42 अन्य व्यय के अन्तर्गत होंगे।
2. ऐसे पेंशनर जो दिनांक 09-11-2000 के बाद के हैं और उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके प्राधिकार पत्र महालेखाकार उ0प्र0 के माध्यम से महालेखाकार उत्तराखण्ड को प्राप्त होतें हैं, की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अन्तर्राज्यीय समायोजन से लेखाशीर्षक:-'8793 अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा' के अन्तर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्याः 666/xxvii(7)50(7)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

संख्याः५७०/xxvii(7)9(45)/2012

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

सचिव वित्त,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः २९ अप्रैल, 2013

विषयः– पेंशनीय भार वहन करने के संबंध में उ0प्र0 राज्य से समझौता किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी–3–819/X-2012-917/79, दिनांक 23 मई, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि उत्तराखण्ड राज्य से पेंशनीय भार वहन करने हेतु दोनो राज्य सरकारों के बीच समझौता से संबंधित है। सम्प्रति इस राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त पोषित स्वायतशासी में कार्यरत थे, के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 412/xxvii(7)61(8)/2010 दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

अतः आपके उपरिउल्लिखित पत्र दिनांक 23 मई, 2012 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 412/xxvii(7)61(8)/2010 दिनांक 14 फरवरी, 2013 के क्रम में आपके राज्य से पेंशनीय भार वहन करने हेतु दोनो राज्य सरकारों के बीच समझौता हेतु सहमति दी जाती है।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः \ /XXVII(7)09(13)/2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—7 देहरादून:दिनांक: /8 अप्रैल, 2013

विषयः—अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानातंरित हुए पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के संबंध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09—11—2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09—11—2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानातंरित किये गये है तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निंस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की व्यवस्था की गई है।

2— राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा जिज्ञासा की गई है कि चिकित्सा अनुभाग—3 के शासनादेश संख्याः 679/चि0—3—2009—437/2002 दिनांक 04—09—2006 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हुए 40,000 तक कार्यालयाध्यक्ष, 40,000 से अधिक तथा किन्तु 1 लाख तक विभागाध्यक्ष, 1 लाख से अधिक किन्तु 2 लाख तक शासन के प्रशासकीय विभाग तथा 2 लाख से अधिक शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से किये जाने की व्यवस्था की गई है किन्तु वित्त विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्याः286/XXVII(7)09(II)/2011 दिनांक 30—12—2011 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों के माध्यम से किये जाने में उन सेवानिवृत्त पेंशनर्सो जिनके दावों का भुगतान 40,000 से कम है उन्हें भी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04—09—2006 में उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे के भुगतान के संबंध में 40,000 तक कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ताधिकारी घोषित किये गये है।

3— उक्त के संबंध में सेवानिवृत्त पेंशनर्स संघो द्वारा की गई जिज्ञासा के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निणर्य लिया गया है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09—11—2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स

प्रेषक

सेवा में

वित्त (वे0आ0

विषय :–

महोदय,

अधिकारी/ क
2005 द्वारा न
शासनादेशों /
समाधान के
स्पष्टीकरण नि

2–

अक्टूबर 2005
पेंशन योजना से
इनको नई पेंशन
/2010 दिनांक
अंशदान (कार्मिक
जायेगी और नि
प्रकरणों में अंशद
की सम्पूर्ण धनरा

3– चूंकि
अंशदान की धन
परिपत्र सं0– PFR

4–

643/XXVII (7) /2
द्वारा सत्यापन कर
एवं हकदारी द्वारा
करते हुए लेखापन
कोषागार द्वारा स
83420011703 से
जायेगा जिस प्रका
एफ0 खाते में जमां

5— निदेशालय लेखा एवं हकदारी द्वारा बाद
प्रेषित की गयी है, को सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक से प्राप्त
0071001170300 में जमां करा दिया जायेगा। सी0आर0ए0
एवं हकदारी द्वारा आंगणन कर यह सुनिश्चित किया जा
राज्यांश जमां शेष रह गया है, जिसे राजकोष में जमां नहीं
जो लेखाशीर्षक 8342 में है को आहरित कर उपरोक्त लेखाश

6— शासनादेश संख्या—346/XXVII (7) /2007
इस योजना का सदस्य नही है, त्रुटिवश योजना में अंशदान
अभिलेख से पुष्टि के उपरान्त घटाईयें वापसियों की प्रति
नियोक्ता का अंश वापस राजकोष में जमां करने की व्यवस्
पृच्छा की जा रही है, कि ऐसे कार्मिकों के जमां अंशदान
प्रेषित की गयी है, की वापसी की क्या प्रकिया होगी।

7— प्रस्तर —6 में उल्लिखित प्रकरणों में
स्थानान्तरित की गयी है, का निस्तारण उपरोक्त प्रस्तर —4
से कोई ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा। शेष प्रकर
दिनांक 21 नवम्बर 2007 के अनुसार ही कार्यवाही की जायेग

उपरोक्त निर्गत की जा रही संशोधित ब्
अधिसूचना/ कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझे

संख्या 468 /XXVii(7) (अं0पें0यो0)/2013, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हे
1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीत
5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9—निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
10—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
11—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एक
12—गार्ड फाईल।

218

प्रेषक

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख काय...
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0– सा0नि0)अनु0–07

विषय–अधिसूचना संख्या 21 / XXVii(7)अ0...
लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन यो...

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या... अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 20... सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा ... संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य स... थी, में नवनियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषि... गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण ल... सरकारी सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 व... पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स... वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवार... रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि ... आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे ... माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश... निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया ज...

(1)

(2

(3

(4)

संख्या: ५।२ 1)/ XXVII(7)61(8)/2011 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
3. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

[illegible]

[illegible]

में [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

संख्याः– ५०/ (1)/ xxvii(/)54(1)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4 शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
5 प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7 वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8 समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9 निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10 श्री पूरण सिंह वर्मा, पूर्व प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा संघ, अशोक विहार बाईपास रोड, लेन–3 अजबपुर कला, देहरादून।
11 गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।